न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 138/2014

1 मोहनलाल उम्र 56 वर्ष पुत्र मालाराम।
2 नेमीचन्द उम्र 48 वर्ष पुत्र मालाराम समस्त जाट निवासीगण बैरास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 फूली देवी उम्र 65 वर्ष पुत्री मालाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैरास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल आबाद बागड़ौदा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
4 सन्तरा आयु 43 वर्ष पुत्री मालाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैरास तहसील लक्ष्मगणढ़ जिला सीकर हाल आबाद ग्राम आकवी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बीरबल उम्र 38 वर्ष पुत्र सुगनाराम।
2 बाबूलाल उम्र 33 वर्ष पुत्र सुगनाराम।
3 नागरमल उम्र 31 वर्ष पुत्र जगूराम।
4 शिवपाल सिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र जगूराम।
5 सोनी देवी उम्र 63 वर्ष पत्नी जगूराम समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम हमीरपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ भूमिधारक राज्य सरकार जिला सीकर।
7 शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 255 आर.टी.एक्ट 1955
विरूद्व निर्णय दिनांक 30.09.2014 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द चौधरी
आर.ए.एस. टी.आई. आवेदन संख्या 159/11
बउनवानी पैपा देवी बनाम बीरबल आदि प्रार्थना
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरजभान सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री महेन्द्र बुरड़क, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 22/11/19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 159/2011 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अपीलांट ने विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 11 तन ग्राम खोरू पटवार हल्का जसरसर प्रस्तुत किया इसमे कथन किया कि विवादित भूमि ने 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अप्रार्थीगण जो कि अनु. जाति के खातेदार है को यह आराजी उनके पिता सुगना से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी जो कि सामान्य जाति का व्यक्ति है का कथन है कि वादग्रस्त आरजी के पूर्व खातेदार सुगना ने दिनांक 12.04.1961 को उक्त आराजी का विक्रय प्रार्थीगण के पिता को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र फरोखत कर दिया था। प्रार्थीगण बरोज खरीद से वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है लेकिन राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी पूर्ववत अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज चली आ रही है जिसकी दुरूस्ती एवं उदघोषणा का वाद प्रार्थीगण ने न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थीगण के विरूद्व ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दिनांक 12.04.1961 को अपीलांट ने 6.05 बिघा भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय की थी। सम्पूर्ण खसरे का विक्रय पत्र नही होने से नामान्तकरण नही हुआ था। 1992 में संशोधन हुआ जिसके अनुसार धारा 42 में 01.05.1964 से पूर्व अन्तरण वैध किये गये। हमारे विक्रय पत्र को कभी चुनौती नही दी गई। धारा 42 का संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से नही है। हमारा दावा विचाराधीन है दावे के निस्तारण से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना विधि विरूद्व है। 1.64 हैक्टेयर पर हम खरीद के समय से काबिज है। मूलवाद के निस्तारण तक स्थगन जारी करने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यू.एल.एन. 2012(3) पेज 157, डी.एन.जे. राजस्थान 2013(1) पेज 170, आर.आर.टी. 2009(1) पेज 141, आर.आर.डी. 1964 पेज 342 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट को दावे के बजाय नियमों के अधिन नियमन करवाना चाहिए था घोषणा के वाद की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आवश्यकता नही थी। धारा 42 में हुआ संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 22.09.1956 से लागू है। विक्रय पत्र वोईड है अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नही है। अस्थाई निषेधा के तीनों घटक हमारे पक्ष में है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावे। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 673, आर.आर.डी. 1974 पेज 116 एवं आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1379 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष के अधिकारों का निर्धारण मूलवाद में बाद सुनवाई होना शेष है। अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर धारा 42 में हुये संशोधन एवं उसके प्रभाव के सन्दर्भ में निर्णय नही किया जाना है। धारा 42 के बिन्दु पर उभयपक्ष के मध्य विचाराधीन मूलवाद में निर्णय होना शेष है इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही बढ़े इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को ताफैसला वाद विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/1/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर